

8/1  
26/9/20

संख्या- 1704 III(2)/20-20(एम.एल.ए.)2017

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वितीय  
विभिन्न  
26/9/2020

प्रमित  
6  
26/9

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग-2

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग:-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 02 विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 4.716 किमी. एवं लागत ₹ 109.53 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 106.93 लाख (रूपये एक करोड़ छः लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्य हेतु ₹ 0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debit able आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समर्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।


(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुरिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्यौरमेण्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047 /XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीषक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 363/XXVII(2)/2020 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

  
भवदीय,  
(श्याम कुमार सुधांशु)  
सचिव।

संख्या- — (1)/III(2)/20-20(एम.एल.ए.)2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

813

प्र० २०१५/२० मात्रिक २०२०

ट्र०:-२६०९२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ छवि

- अन्यानुलाभावक आवश्यक विभागों के लिए निम्न छवि दिया गया है।
१. अंगूष्ठ अभिन्न, लोकनिधि, देहरादून,
  २. अंगूष्ठ अभिन्न १ की वृत्त, लोकनिधि, देहरादून,
  ३. अंगूष्ठ अभिन्न २०१५, लोकनिधि, देहरादून,
  ४. अंगूष्ठ अभिन्न आइटी एल, फार्मासी, एम्फुल अभिन्न, देहरादून,
  ५. कानूनी अभिन्न प्रान्तीय विभाग, प्रान्तीय खण्ड, देहरादून।

  
(बघवान् एल साहा)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

संख्या- १७०४ /III(2)/20-20(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक २) सितम्बर 2020 का संलग्नक।  
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड के डालनवाला क्षेत्र में नगर निगम देहरादून के अधीनस्थ दून वैली जूनियर हाई स्कूल, नेमी रोड से ममता स्टूडियो मार्ग का 20 एम.एम. मोटाई में पी.सी./सीलकोट द्वारा तथा ऑटो स्टैण्ड-इण्टर रोड से सेतु तक व तेगबहादुर रोड के आन्तरिक संयोजक क्षतिग्रस्त मार्गों पर बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुधारीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)।	2.216	66.48	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड में देहरादून शहर के मुख्य मार्गों क्रॉस रोड, लैंसडाउन चौक, कचहरी रोड, डिस्पेंसरी रोड के क्षतिग्रस्त भाग व खुड़बुड़ा एवं नेशविला रोड के आन्तरिक/सम्पर्क मार्गों का बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुधारीकरण का कार्य (देहरादून स्मार्ट सिटी से आच्छादित सड़कों को पृथक् करते हुए) (विस्तृत आगणन)।	2.500	40.45	0.10
	कुल योग :-	4.716	106.93	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)



(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )**  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1704/III(2)/20-20(MLA)2017  
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20090220038  
 आवंटन पत्र दिनांक-09-SEP-2020

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सड़क निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04- 800-03-02से स्थानान्तरित )	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम			पूर्व में जारी			वर्तमान में जारी			अब तक का व्यय		योग	
53-वृहद निर्माण			1300000			20000			0		1320000	
योग			1300000			20000			0		1320000	

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty  
Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

